संख्या-120/पाँच-6-14-5(जी.)/14

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय (पुरुष/महिला),
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2014

विषय:- तात्कालिक/आपात स्थिति में लाभार्थी द्वारा निजी चिकित्सालयों में उपचार के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के भाग-3 के नियम-11 के प्राविधानों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि उ0प्र0 राज्य के कार्मिकों द्वारा आपात परिस्थिति में निजी चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने के उपरान्त उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी दावों का परीक्षण करते समय मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा यह आपत्ति लगायी जा रही है कि निजी चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा प्राप्त करने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय से अग्रसारण नहीं कराया गया।

2- इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 के भाग-3 के नियम-11 में स्पष्ट उल्लेख है कि तात्कालिक/आपात स्थिति में लाभार्थी द्वारा निजी चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त किया जा सकता है तथा उसकी आपात दशा को संबंधित उपचारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

3- अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी लाभार्थी द्वारा आपात स्थिति में निजी चिकित्सालय में उपचार कराया जाता है तथा उसकी आपात दशा संबंधित सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित की गयी हो, तो ऐसी स्थिति में उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय से अग्रसारण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-120 (1)/पाँच-6-14-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-03/प्र0नि0 एवं का/2014 दिनांक 17.01.2014 के सन्दर्भ में।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
6. विभागीय वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
7. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मयूर माहेश्वरी)
विशेष सचिव